न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर
बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 36 / 2020 निर्णय दिनांक 08.04.2021

1. अरविन्द्रशर्मा एच.यू.एफ. कर्ता अरविन्द्र शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा निवासी प्लोट न. 99–100 रोड़ न. 9, इण्डस्ट्रीयल एरिया रानी बाजार बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
2. नृसिंह अग्रवाल एच.यू.एफ. कर्ता नृसिंह अग्रवाल पुत्र बंशीधर अग्रवाल जाति अग्रवाल साकिन गोपेश्वर बस्ती, तहसील व जिला बीकानेर।
3. श्रीधर शर्मा एच.यू.एफ. कर्ता श्रीधर शर्मा पुत्र षटकोपाचार्य शर्मा जाति शर्मा निवासी प्लोट न. 99–100 रोड न. 9, इण्डस्ट्रीयल एरिया रानी बाजार बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

..... **वादीगण**

बनाम

1. राजाराम पुत्र अमरनाथ जाति ब्राहमण निवासी समायण तहसील टोहना जिला फतेहाबाद।
2. लीलादेवी पुत्री जेठगर जाति स्वामी साकिन नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत

..... **प्रतिवादीगण**

राजस्व वाद सं. 37 / 2020

1. अरविन्द्रशर्मा एच. यू. एफ. कर्ता अरविन्द्र शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा निवासी प्लोट न. 99–100 रोड़ न. 9, इण्डस्ट्रीयल एरिया रानी बाजार बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

..... **वादीगण**

बनाम

1. गीता पुत्री श्री अजीतगर जाति स्वामी निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. जमना पुत्री श्री जेठगर जाति स्वामी निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. प्रवीण कुमार पुत्र दलीप जाति ब्राहमण निवासी सेमण तहसील टोहना जिला फतेहाबाद।
4. बुलाकी पुत्री प्रेमगर जाति स्वामी निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. राजाराम पुत्र अमरनाथ जाति ब्राहमण निवासी सेमण तहसील टोहना जिला फतेहाबाद
6. राजस्थान सरकार।

..... **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Scanned with CamScanner

उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री रणजीतसिंह निर्वाण, अभिभाषक वादी (दोनों पक्षों में)
2. श्री हुनमान शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी (वाद संख्या 36/2020 में प्रतिवादी सं. 2 व राजस्व वाद सं. 37/2020 में प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 की ओर से)
3. राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार उपस्थित।
4. शेष प्रतिवादीगण(वाद संख्या 36/2020 में प्रतिवादी संख्या 1 तथा वाद सं. 37/2020 में प्रतिवादी 3, 4 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय है)

निर्णय

दिनांक :– 08.04.2021

प्रथम पता संलग्न सूची पद अंकित है।

1. ये दोनो विचाराधीन वाद संख्या 36/2020 एवं 37/2020 दिनांक 31.12.2020 में इस न्यायालय में प्रस्तुत हुवें। जिनको वाद में वादीगण के लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दोनो वादों की विषय वस्तु व उनमें निहित जमीन स्थान एवं विधि भी समान होने से संमेकित कर इनका निस्तारण भी एक साथ ही किया है। निर्णय की प्रति भी प्रत्येक पर संलंग्न है।
2. संक्षेप में वाद सं. 36/2020 के सम्बन्ध में आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूंद्ध अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खाता विभाजन का प्रस्तुत किया जिसमें राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) को भी प्रतिवादी संख्या 3 औपचारिक पक्षगत संयोजित किया गया है। वादीगण के कथनानुसार आराजी खसरा संख्या 69 तादादी 2.4300 हैक्टर, 72 तादादी 1.00 हैक्टर, 74 तादादी 1.2100 हैक्टर, 75 तादादी 9.3500 हैक्टर व खसरा नम्बर 78 तादादी 7.57 हैक्टर कुल 31.5600 हैक्टर वाके ग्राम रोही मोडिया मानसर तहसील कोलायत में स्थित है, के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमें वादी सं. 1 हिस्सा 55/526 तथा वादी सं. 2 का हिस्सा 377/3156 हैक्टर, वादी सं. 3 का हिस्सा 255/526 हैक्टर इसीं प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम का हिस्सा 27/526, प्रतिवादी संख्या 2 लीलादेवी का हिस्सा 757/3156 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हरेने से खेती करने, अपनी अपनी जमीनों के विकास करने में विभिन्न कठिनाईयों उत्पन्न हो सकती है तथा पक्षकारान के मध्य आपसी मनमुटाव भी रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने का निवेदन किया लेकिन नही माने तथा स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। तब यह वाद न्यायालय में पेश करना आवश्यक हो गया और प्रस्तुत किया। वाद पक्ष के साथ एक नजरी नक्शा भी संलग्न किया है। वादीगण का यह भी अभिकथन है कि जो नजरी नक्शा प्रस्तुत कर उसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमियो को अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया है उसी कदर वे अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है। अतः तदनुसार विभाजन का वाद स्वीकार कर डिग्री जारी की जावे।
3. वाद संख्या 37/2020 के तथ्य इस प्रकार से है जिसमें उसी ग्राम मोडिया की रोही के खसरा नम्बर 76 तादादी 22.5600 हैक्टरव खसरा नम्बर 77 तादादी 10.6200 हैक्टर भूमि को विवादित किया गया है। जिसमें वादी का हिस्सा 663/1106 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 59/553, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 59/553, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 3/79, प्रतिवादी 4 का हिस्सा 59/553 व प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 47/1106 है। वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शों के अनुसार खाता तरमीम करने का वादी ने न्यायालय से निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

4. दोनो वाद पक्ष में प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलाह कायमी तकनियात दिलाया गया। वाद संख्या 36/2020 में प्रतिवादी संख्या 2 की और से श्री हनुमान शर्मा अभिभाषक ने अपना अभिभाषक पत्र दिनांक 05.03.2021 को उपस्थित आकर न्यायालय में दाखील किया। प्रतिवादी राज्य की और से परोकार उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद इतला के गैर हाजिर। अतः इसके विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय अमल में ली गयी। प्रतिवादी संख्या 2 की और से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में दर्ज तथ्यों को स्वीकार किया गया मुताबिक नजरी नक्शा विभाजी की प्राथमिक डिग्री सादित करने की अपनी सहमती प्रकट की।

5. वाद संख्या 37/2020 में वाद तलवी प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की और से श्री हनुमान शर्मा अभिभाषक ने उपस्थित आकर अपना अभिभाषक पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 बावजूद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही आये जिनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाकी के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की और से संयुक्त रूप से लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसमे वादी के वाद का स्वीकार किया गया तथा विभाजन की प्राथमिक डिग्री मुताबिक नजरी नक्शों में बरता रंग अलग–अलग के आधार पर खाता तकमीम कर अलग–अलग खाते कायम करने की अपनी स्वीकृति प्रकट की।

6. हमने उपस्थित योग्य अभिभाषक उभयपक्ष को विभाजन की प्राथमिक डिग्री पर सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदियों की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से यह प्रकट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा अभिलिखित खातेदार काश्तकार को अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराने का हक व अधिकारों को विचारीयत के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त है। इसमें अलावा पक्षाकरान के खाता विभाजन कर पारित करने में कोई कानूनी अड़चन नही है। दोनों प्रकरणों में तहसीलदार (राजस्व) कोलायत होल्डर होने के नाते प्रकरण में प्रतिवादी सयोजित है तथा न्यायालय में उपस्थित आकर विभाजन किये आने की अपनी अनापत्ति प्रकट की है। अतः दोनो वादों को स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन की डिग्री इस प्रकारसे सादिर की जाती है कि सम्वत् 2072 से 2075, 76 नया खाता संख्या 147 के अन्तर्गत जमीने व सम्वत् 2075 व 2076 के अन्तर्गत ग्राम मोडिया की भूमियों वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सो में आयी भूमियों जो वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में वर्णित है तदानुसार खाता विभाजन कर पृथक–पृथक कायम कर खात पृथक–पृथक कर मुताबिक नजरी नकशों के पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय के संलग्न किया जावें। तदानुसार डिग्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

137-38
12.4.2021

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

Scanned with CamScanner